कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

(11)

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/भौतिक/स्थानांतरण/2020–21/1–176 दिनांक– 04.01.2021 के तहत् श्री संजीव कुमार कटारिया व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हनुमानगढ़ टाऊन (हनुमानगढ़) का स्थानांतरण राउमावि सौढाकोर (जैसलमेर) किया गया। श्री संजीव कुमार कटारिया ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 2070/2021 संजीव कुमार कटारिया बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 2070/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 द्वारा याचिकार्थी श्री संजीव कुमार कटारिया को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार याचिकार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किए है।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री संजीव कुमार कटारिया द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पत्नी के अस्थमा रोग से पीड़ित, नवीन पदस्थापन स्थान गृह नगर से 600 किमी. दूर होने एवं विकट पारिवारिक परिस्थितियों होने के आधार पर अपना पदस्थापन 1. डाईट हनुमानगढ़ 2. आर.पी. (संदर्भ व्यक्ति) सीबीईओ हनुमानगढ़ 3. आर.पी. सीबीईओ रावतसर 4. आर.पी. सीबीईओ पीलीबंगा मे किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 08.03.2021 को कार्यग्रहण कर चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी–3/भौगकृ/अभ्यावेदन/संजीव कटारिया/एस.बी.सी. 2070/2021/-7 दिनांक: 17/03/21

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:/17.12.16/desktop/court